प्रेषक,

नसीमा,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट
कक्ष संख्या– 02, जनपद फर्रुखाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

विषयः– उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 8/2018/2-4-2018-45(12)/91 टी० सी० दिनांक 13.04.2018 के आलोक में विधि में स्नातकोत्तर उपाधि (एल.एल.एम.) धारक प्रार्थिया को 03 अग्रिम वेतन वृद्धि दिलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थिया वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या– 02, फर्रुखाबाद के पद पर कार्यरत है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी अद्यतन शासनादेश संख्या 8/2018/2-4-2018-45(12)/91 टी० सी० दिनांक 13.04.2018 के अनुसार प्रार्थिया को एल.एल.एम की उपाधि प्राप्त होने के कारण 03 अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमन्य है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि विधि में स्नातकोत्तर उपाधि (एल.एल.एम.) धारक होने के कारण प्रार्थिया को माह नवम्बर 2019 से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी अद्यतन शासनादेश संख्या 8/2018/2-4-2018-45(12)/91 टी० सी० दिनांक 13.04.2018 के आलोक में 03 अग्रिम वेतन वृद्धि माननीय न्यायालय से स्वीकृत कराने की कृपा करें।

सादर।

दिनांकः– 25.03.2021

भवदीया,
Naseema 25/03/2021
( नसीमा )
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट,
कक्ष संख्या– 02, जनपद फर्रुखाबाद।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश
पत्रांक- 888/XV दिनांक- 25.03.2021
अग्रसारित
जनपद न्यायाधीश
फर्रुखाबाद
25.03.2021